बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (किशनगंज) 02–51/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........

सुश्री सुचिता कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज, किशनगंज सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन कार्यालय, औरंगाबाद के विरूद्ध मो० कसमुद्दीन, पिता–स्व० नफर अली, ग्राम–नेगराडूबा, पंचायत–भतगांव, थाना–गलगलिया, किशनगंज द्वारा आपत्ति एवं साक्ष्य उपलब्ध कराने के बावजूद जालसाजी केवाला का गलत दाखिल–खारिज करने के संदर्भ में प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–43/सी०, दिनांक 07.04.2025 द्वारा उक्त मामले को किसी वरीय पदाधिकारी से जांच करांकर जॉच प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपलब्ध कराने का निदेश जिला पदाधिकारी, किशनगंज को दिया गया। समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा जॉच प्रतिवेदन अपने पत्रांक–1148/जि०रा०, दिनांक–29.04.2025 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. समाहर्त्ता, किशनगंज से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0–1006(15) दिनांक–19.06.2025 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार सुश्री सुचिता कुमारी, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज, किशनगंज को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में सुश्री कुमारी का अभ्यावेदन दिनांक–19.06.2025 के आलोक में सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सुश्री कुमारी को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1785(15) दिनांक–26.09.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निलंबन मुक्त किया गया एवं विभागीय पत्रांक–1799(15) दिनांक–05.10.2025 द्वारा सुश्री कुमारी के विरूद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए गठित आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

4. विभागीय पत्रांक–1799(15) दिनांक–05.10.2025 के आलोक में सुश्री कुमारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–24.10.2025 विभाग को समर्पित किया गया। सुश्री कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मंतव्य हेतु विभागीय पत्रांक–2065(15) दिनांक–16.12.2025 द्वारा समाहर्त्ता, किशनगंज से अनुरोध किया गया। समाहर्त्ता, किशनगंज का पत्रांक–602/जि०रा० दिनांक–13.02.2026 द्वारा अपना मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा सुश्री कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज, किशनगंज से प्राप्त स्पष्टीकरण पर असहमति व्यक्त की गई।

5. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं समाहर्त्ता, किशनगंज से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सुश्री कुमारी के विरूद्ध **"संचयी प्रभाव के बिना दो (02) वेतन वृद्धि पर रोक का शास्ति"** अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार सुश्री सुचिता कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज, किशनगंज सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन कार्यालय, औरंगाबाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 (v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना दो (02) वेतन वृद्धि पर रोक का शास्ति"** आदेश निर्गत की तिथि से अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\ashish 2026\Dand order sankalp\suchita kri CO Thakurganj.doc

निबंधित/
ई–मेल

ज्ञापांक–**15/आरोप (किशनगंज) 02–51/2025**–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.............

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, किशनगंज एवं औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज एवं औरंगाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/सुश्री सुचिता कुमारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज, किशनगंज सम्प्रति **राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, भू–अर्जन कार्यालय, औरंगाबाद** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (किशनगंज) 02–51/2025**–....597....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–22/04/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदधिकारी प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसांइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि सुश्री कुमारी के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

21/4/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\ashish 2026\Dand order sankalp\suchita kri CO Thakurganj.doc

4